05.10.2021 1. Heart & General Hospital, Jaipur 22.04.2020
2. Jaipur Heart Institute, Jaipur. 09.02.2020
09.09.2019 C. ENT Specialty Hospital .

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

कमांकःस. 24–2 (1) स्था. /अभि./23/141 दिनांकः– 02/02/2024

<u>आदेश</u>

सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती परीक्षा वर्ष 2015 की आरक्षित सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से पत्र क्रमांक एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP)2013–14/33 दिनांक 23.05.2019 एवं क्रमांक एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP)2013–14/143 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा प्राप्त हुयी, जिसके क्रम में अभियोजन निदेशालय में गठित विभागीय समिति की अनुशंषा पर राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नीचे आदेश में स्थित तालिका में वर्णित अभ्यर्थी को निम्न शर्तो पर सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26(1) में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष का परीविक्षा काल होगा।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 1(2) एफडी/ रूल्स/06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12. 2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 26500/–(Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–11 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।
4. परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति नहीं की जावेगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियॉ की जा सकेगी।
5. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी। परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।
6. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
7. अभ्यर्थी को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

RajKaj Ref
5258572

9. चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरक्षित वेतन नियम 2017 की अनूसूचि 1(पार्ट–1)नियम–5 (V) के अनुसार पे– मेट्रिक्स में पे–लेवल (एल–11) में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगे।

10. चयनित अभ्यर्थी के आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने अंकित सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यर्थी नियुक्त के समय संबंधित उप निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगा कि उनके संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पद ग्रहण करने की तिथि तक उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्त वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं है।

अभ्यर्थी अपने 15 कार्य दिवस प्रशिक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करावें:–

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म दिनांक	गृह जिला	प्रशिक्षण कार्यालय
1.	R-128	श्री भीम सिंह डाबला पुत्र श्री निहाल सिंह डाबला, निवासीः– सीआईएसएफ कैम्प के सामने श्याम विहार विस्तार कॉलोनी, ढाणी डूंगरी वालो की नांगल रोड, कुण्डा, आमेर, जयपुर–302028	ST	01.03.1983	जयपुर	उ0नि0अ0, प्रथम, जयपुर महानगर

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

01.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
02.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
03.निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह।
04.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
05.निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
06.समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
07.सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
08.निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय/
09.रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5258572

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI SHARMA <sharma.ravirhjs@gm...com>.

Digitally Signed by RAVI SHARMA
Designation: Director
Date :02-02-2024 02:18:23